न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 हरीतिमा (आर.ए.एस.)

रण संख्याः 146/14

किस्तुरी देवी पत्नी सहीराम जाति बावरी निवासी डबलीवास कुतुब तहसील व जिला हनुमानगढ हाल निवासी चक 16 बीएलडी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. जगरूप सिंह पुत्र साधूसिंह जाति मजबी निवासी दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
2. महेन्द्र कौर पुत्री साधु सिंह पत्नी हाकम सिंह जाति मजबी निवासी मसरूवाला
3. बोहड सिंह पुत्र साधूसिंह जाति मजबी निवासी दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
4. जसपाल कौर पुत्री साधुसिंह पत्नी मंगल सिंह जाति मजहबी सिख निवासी मसरूवाला
5. सिरो कौर पुत्री मंदर सिंह जाति मजबी निवासी सहजीपुरा
6. सुरजीत सिंह पुत्र भितोकौर पुत्री साधुसिंह पत्नी गुरमुख सिंह जाति मजबी निवासी दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
7. अंग्रेज सिंह पुत्र नसीब कौर पुत्री साधूसिंह पत्नी विचित्र सिंह जाति मजबी निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
8. भूरासिंह पुत्र मुंशी सिंह जाति मजबी निवासी 16 बीएलडी (सी) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर

(उप. स्ट 19 2/23)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री भागीरथ बिश्नोई
2. अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 श्री हरचन्द सिंह सिद्धु

निर्णय दिनांकः 6.3.2020

1. यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत तहसीलदार श्रीविजयनगर के निर्णय दिनांक 27.11.2014, जिसके द्वारा चक 16 बी.एल.डी.(सी) के पत्थर नम्बर 241/434 की 2.910 है0 साधूसिंह पुत्र बस्ती सिंह के नाम की को उसके जायज वारिसों के नाम से विरासतन इंतकाल दर्ज करने का पारित आदेश निरस्त करने व अपीलांट के नाम जैरअपील भूमि व भूमि खरीद बैयनामा के आधार पर इंतकाल दर्ज करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।
2. अपील प्रकरण संख्या 146/14 पर दर्ज की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ बिश्नोई हाजिर हुए एवं रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 की ओर से अधिवक्ता श्री हरचन्द सिंह सिद्धु उपस्थित हुए। बहस उभय पक्ष सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि मुन्शीसिंह व साधूसिंह पुत्रगण बस्तीसिंह के नाम से संयुक्त खाते मे चक 16 बी.एल.डी. (सी) के पत्थर नम्बर 241/434 की 5.819 हैक्टेयर रकबा मे 1/2 – 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड होकर अपना अपना हिस्सा कब्जा काश्त मे चला आ रहा था। यह भूमि दोनो भाईयो की स्व अर्जित भूमि थी। साधूसिंह ने अपने 1/2 हिस्सा की भूमि जो अपील के पैरा संख्या एक मे वर्णित है कि एक वसीयत दिनांक 31.03.1995 को अपने भतीजे सगे भाई मुन्शीसिंह के पुत्र भूरासिंह को करवा दी थी व साधूसिंह के स्वर्गवास हो जाने पर भूरासिंह ने अदालत मातहत तहसीलदार साहब श्रीविजयनगर की अदालत मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वसीयतकर्ता साधूसिंह का स्वर्गवास हो गया है व उसके नाम की दर्ज भूमि का वसीयत के आधार पर इन्तकाल प्रार्थी के नाम से दर्ज करने का आदेश दिया जावे। यह है कि अदालत मातहत तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। जैरअपील भूमि का कब्जा काश्त प्रार्थी/अपीलान्ट का होने व भूमि वसीयतकर्ता साधूसिंह की स्वंय की ... व अखबार मे विज्ञप्ति

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ

Scanned by CamScanner

जारी करने के बाद भी किसी पक्षकार द्वारा कोई ऐतराज प्रस्तुत नही करने पर दिनांक 28.06.2007 को मुताबिक वसीयत जैरअपील भूमि का इन्तकाल प्रार्थी भूरासिंह के पक्ष मे करने का आदेश जारी करने पर इन्तकाल संख्या 189 दिनांक 05.07.2007 दर्ज कर तस्दीक कर दिया ।। आदेश तहसीलदार श्रीविजयनगर दिनांक 28.06.2007 के विरूद्ध रेस्पो. द्वारा एक अपील अदालत उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर की अदालत मे प्रस्तुत की गई जो दिनांक 03.01.2013 को बाद सुनवाई खारिज कर दी गई। रेस्पो. द्वारा दूसरी अपील श्रीमान अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त बीकानेर संभाग बीकानेर की अदालत मे प्रस्तुत की गई जो अपील न. 2/2013 दर्ज रजिस्टर की जाकर अपने निर्णय दिनांक 31.01.2014 के द्वारा अपील स्वीकार करते हुए निर्णय तहसीलदार श्री विजयनगर दिनांक 28.06.2007 व उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर का निर्णय दिनांक 03.01.2013 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः अदालत मातहत श्रीमान तहसीलदार श्रीविजयनगर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया कि "दोनो पक्षो को सुनकर विधि अनुकूल एवं नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करे।" प्रकरण रिमाण्ड होकर अदालत मातहत तहसीलदार श्रीविजयनगर मे आने पर उनके द्वारा प्रकरण संख्या 18/2014 पर दर्ज कर जैरअपील आदेश दिनांक 27.11.2014 एकतरफा तौर पर नियमो के विरूद्ध गैरकानूनी रूप से पारित कर दिया। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। प्रकरण में अपीलांट किस्तूरी का स्वर्गवास हो जाने बाद उसके जायज वारिस मदन लाल को अपीलांट न. 1/1 पर पक्षकार बनाया गया है। स्व. साधूसिंह के नाम भूमि उसकी स्व अर्जित भूमि थी व उसकी वसीयत करने का उसे पूरा पूरा अधिकार था। यह है कि स्व. साधूसिंह द्वारा भूरासिंह के पक्ष मे जैरअपील भूमि की करवाई गई वसीयत दिनांक 31.03.1995 आज तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही की गई है व वसीयत के कायम रहते हुए विरासतन इन्तकाल दर्ज करने का आदेश गैरकानूनी है। जैरअपील भूमि का कब्जा काश्त कभी भी रेस्पो. के पास नही रहा जैरअपील भूमि का कब्जा काश्त पहले भूरासिंह के पास था व भूरासिंह द्वारा जैरअपील रकबा दिनांक 07.01.2013 के द्वारा अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा उप-पंजीयक श्रीविजयनगर से तस्दीक करवा देने व उसी दिन कब्जा दे देने से कब्जा काश्त अपीलान्ट के पास चला आ रहा है। कब्जा काश्त का स्पष्ट उल्लेख बैयनामा मे किया गया है। इसलिए बिना कब्जा काश्त की जांच के एकतरफा तौर पर किया गया आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से काबिल निरस्ती के है व अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। यह है कि भूरासिंह ने जैरअपील भूमि का वसीयत इन्तकाल अपने नाम से करवाने के बाद जैरअपील 1/2 हिस्सा की भूमि का अन्य सहखातेदार से उचित अदालत से खाता विभाजन करवा कर उसका इन्तकाल संख्या 273 दिनांक 11.01.2013 भी तस्दीक करवा लेने के बाद जमाबन्दी के मुख्य कालम 4 मे भी रेस्पो. 08 भूरासिंह का नाम दर्ज हो गया था व बाद मे भूरासिंह के द्वारा एसबीबीजे एडीबी श्रीविजयनगर के भूमि को रहन रख कर ऋण भी उठाया था। जिससे पूरी तरह से साबित है कि जैरअपील भूमि का बेचान करते समय कब्जा का त भूरासिंह का था व खरीद के समय कब्जा उसने अपीलान्ट को सौंप दिया था व तब से आज तक कब्जा का त अपीलान्ट का चला आ रहा है व अब मौके पर कड़ी मेहनत करके व भारी ऋण लगा कर अपीलान्ट द्वारा हाडी की फसल 2014 – 15 काश्त की हुई है जिस पर अपीलान्ट का पूरा परिवार आधारित है। इस भूमि के अलावा अन्य कोई जीवनयापन का सहारा नही है। अब रेस्पो.गण इस भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। इससे अपीलान्ट को भारी क्षति होगी। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज कर अपील स्वीकार की जावे। यह है कि अपीलान्ट ने जिस दिन भूमि को खरीद किया था उस दिन भूमि बेचान कर्ता भूरासिंह के नाम जमाबन्दी मे बतौर खातेदारी दर्ज थी भूमि हर प्रकार से भार मुक्त थी व भूमि उसे बेचने का पूरा पूरा अधिकार था। अपीलान्ट ने पूरे स्टाम्प खरीद कर बैयनामा तस्दीक करवाया था व बैयनामा के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष मे इन्तकाल न. 274 दिनांक 12.01.2013 स्वीकार करने के बाद राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे नाम भी आ गया था। यह है कि अति. सम्भागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा अपने निर्णय मे अदालत मातहत को यह हिदायत दी थी कि दोनो पक्षो को सुन कर विधि अनुकूल नियमानुसार निर्णय पारित करे। परन्तु अदालत मातहत ने इस ओर कोई ध्यान नही दिया व अपने से उच्च अदालत द्वारा दिये गये आदेश की पालना न करते हुए बिना चालू जमाबन्दी को देखे बिना कब्जा काश्त व बैयनामा के आधार पर हुए इन्तकाल को निरस्त करवाये बिना ही जैरअपील आदेश पारित कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के पक्ष मे करवाया गया बैयनामा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

दिनांक 07.01.2013 किसी सक्षम अदालत द्वारा निरस्त नही करवाया गया है। बैनामा अदालत मातहत के पंजीयन श्री विजयनगर द्वारा बतौर रजि-स्टर्ड तस्दीक किया गया है। उक्त पक्षकार को स्वयं द्वारा ही तलब कर न सुनना एक भारी भूल है जिससे अपीलान्ट को भारी क्षति हुई है व अपीलान्ट के साथ भारी अन्याय हुआ है। यह है कि अपीलान्ट एक अनुसूचित जाति की कमजोर वर्ग महिला है जिनके हितों की रक्षा करना कानूनी दायित्व अदालत मातहत पर था परन्तु अदालत मातहत ने इस तरफ कोई ध्यान न देकर सबमिटेड दायित्वों की अवहेलना की गई है। इसलिए भी फैसला अदालत मातहत काबिल निरस्ती के है। अदालत मातहत के निर्णय से अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है चूंकि जैरअपील रकबा अपीलान्ट द्वारा रेस्पो. 08 से खरीद किया हुआ है व निर्णय के दिन जमाबन्दी मे बतौर खातेदार दर्ज थी अब वही रकबा रेस्पो. 1 ता 7 के नाम दर्ज करने का आदेश दे देने से रकबा अपीलान्ट के हाथों से निकल जायेगा जिससे अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई रुपये पैसों मे कभी नही हो सकती। इसलिए अपीलान्ट प्रभावित व पीडित पक्षकार होने से अपील करने की अधिकारी है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। यह है कि जैरअपील फैसला दिनांक 27.11.2014 को किया गया है जिसके 30 दिन दिनांक 27.12.2014 को पूरे होते है जिसमें एक दिन नकल लेने मे लग गया व दिनांक 27-28 दिसम्बर 2014 को शनिवार व रविवार को अवकाश होने से अपील आज समयावधि मे प्रस्तुत की जा रही है।

4. अधिवक्ता रेस्पो० संख्या 1 ता 7 ने अपनी बहस में कथन किया कि वसीयत करते समय रकबा गैर खातेदारी था व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39 के तहत सिर्फ खातेदार काश्तकार ही वसीयत कर सकता है. गैर खातेदारी रकबा की की गई वसीयत गैर कानूनी है. इसलिए वसीयत एक निष्प्रभावी दस्तावेज है। जो रेस्पोडेंटस पर लागू नही होता। वसीयत कूटरचित है। वसीयत लिखने से पहले दस्तखत करवाये गये है लिखित व दस्तखतों के मध्य खाली जगह पडी है। वसीयत सही नही है। उप पंजीयक से तस्दीकशुदा नही है। इसलिए तहसीलदार श्रीविजयनगर ने जैर अपील निर्णय कानून सम्मत पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. अधिवक्ता अपीलाट ने अपने जवाब बहस मे कथन किया कि जिस दिन वसीयत की गई थी उस दिन से पूर्व ही वसीयतकर्ता ने सरकार को किश्तो की सारी रकम जमा करवा दी थी व कूननी रूप से वह उस रकबा का खातेदार काश्तकार था। खातेदारी जारी करने का कार्य जिला कलक्टर महोदय का था व जिस दिन वसीयत की गई उस दिन को न माना जाकर वसीयत-वसीयतकर्ता की मृत्यु की दिनांक से लागू होती है व जिस दिन वसीयतकर्ता की मृत्यु हुई उस दिन रकबा खातेदारी था व वसीयत किसी सक्षम न्यायालय से आज तक खारिज नहीं हुइ है। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2006 पेज 1353 एफआईआर 1977 पेज 1265 (सु०को०) आरआरडी 1999 पेज 339. आरआरडी 1994 पेज 391. आरबीजे 1998 पेज 438 प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त वसीयत सही है। व कब्जा काश्त बैयनामा दिनांक 07.01. 2013 से ही अपीलांट के पास चला आ रहा है। जिस दिन भूमि का बैयनामा करवाया गया था उस दिन किसी सक्षम अदालत में कोई विवाद नही चल रहा था एवं ना ही कोई स्थगन था। भूमि बेचने वाले को बेचने का अधिकार था एवं खरीददार को खरीदने का। अतः अपील स्वीकार जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अपीलाट के नाम जैर अपील भूमि का इंतकाल उ. रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर होकर राजस्व रिकार्ड मे नाम आ जाने से अपीलांट के हित जैर अपील रकबा से प्रभावित होने की स्थिति मे अपीलाट को हितबद्व पक्षकार मानते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी प्रकार अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र का जवाब भी शपथ पत्र के जवाब के साथ प्रस्तुत नही करने से अपीलाट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद स्वीकार किया जाकर अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के ज्ञान से अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपील के गुण व दोष पर निर्णय करने का प्रश्न है. रिकार्ड के अवलोकन करने व दोनो पक्षो के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन करने व संबधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अध्ययन करने से यह तथ्य साबित है कि मूल आवंटी द्वारा जैर अपील रकबा की वसीयत करवाई गई थी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

से उसे स्वयं आवंटन था व स्वयं अर्जित रकबा की वसीयत करवाने के लिए स्वतंत्र था व रकबा की समस्त किश्ते जमा होने के बाद वह उस रकबा का कानूनी रूप से खातेदार हो गया था। वसीयत व बेयनामा आज तक किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नही करवाये गये है। वसीयत के इंतकाल के बाद पक्षकारो द्वारा सक्षम न्यायालय से खाता विभाजन की डिक्री जारी हो गई, उसको भी किसी सक्षम न्यायालय मे चुनौती नही दी गई। अपील के स्तर पर इन कानूनी बिन्दुओ का निर्णय न होकर वाद के माध्यम से ही संभव है।

कानूनी बिन्दुओ पर गहनता से अध्ययन करने व रिकार्ड का समुचित अवलोकन करने के बाद न्यायालय अपीलार्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए जैर अपील आदेश दिनांक 27.11.2014 तहसीलदार श्रीविजयनगर निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार श्रीविजयनगर को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे दोनों पक्षों को सुनकर नियमानुसार निर्णय पारित करे।

निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

.3.2020

(डॉ0 हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ

Scanned by CamScanner